

10

15-11-18

वकील कमी. या स्वयं कमी. काई उपोस्थित
 नहीं है। रेल्यां कांभायक उपोस्थित है। कमी.
 का बार-बार आवाने दिलाई गई। कमी.
 की आर स. काई उपोस्थित नहीं काया।
 अतः कमील अपीलान्ट अदम हाजरी व
 अदम फेरवी में खारिज की जाती है।
 पत्रावली फेरुल शुमार होकर वाद तकमील
 जायता काजिल दफ्तर है।

~~Alimad~~
 For Respondent
 NO. 1
 15-11-18

संभागीय आयुक्त
 भरतपुर संभागा, भरतपुर